SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
October – December 2024
E-ISSN 3048-7323
Vol-1
Issue-4

भारतीय समाज में साइबर अपराध

बीरेन्द्र पाल
समाज शास्त्र
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

शोध सारांश

साइबर अपराध समाज में कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का ज्ञान प्राप्त करके उसे ज्ञान का दुरुपयोग करके कानून के नियमों का उल्लंघन एवं अनैतिक कार्य किए जाते हैं जिन प्रतिभावान व्यक्तियों को कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का पूर्ण ज्ञान होता है वह कंप्यूटर के माध्यम से जरूरी जानकारी और सामग्रियों को अवैध तरीके से जमा करके उसको संप्रेषित करने का काम करते हैं वर्तमान युग में किंग वायरस फैलाना फिशिंग स्पेस स्पैम ईमेल सॉफ्टवेयर पायरेसी साइबर बुलिंग फर्जी बैंकों की कॉल सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अफवाह या गलत जानकारी देना जैसी साइबर अपराध सारी दुनिया के समाज में रह रहे लोगों के सामने एक गंभीर समस्या पैदा कर दी है जिसे समाज में यह रह रहे लोगों का जीवन संकट में हो गया है

मुख्य शब्द

साइबर अपराध हैकिंग वायरस फैलाना फर्जी बैंक कॉल साइबर बुलिंग स्पेस ईमेल सॉफ्टवेयर पायरेसी फेसिंग सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अफवाह फैलाना भारतीय कानून दंड संहिता में साइबर अपराधों से संबंधित जरूरी प्रावधान सूचना तकनीकी कानून 2000 के अंतर्गत साइबर स्पेस के क्षेत्र के अधिकार के संबंध में संबंध में प्रावधान।

उद्देश्य

भारतीय समाज में साइबर अपराध के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करना।

प्रस्तावना

आधुनिक युग में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी में भारतीय समाज में विकास किया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय समाज को एक वैश्विक गांव के रूप में बदल दिया है। जिससे भारतीय समाज में साइबर अपराध का विकराल रूप धारण कर लिया है। जिसे भारतीय समाज को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान समय में अपनी जानकारियो को दुनिया भर में कहीं भी भेजा जा सकता है। और प्राप्त किया जा सकता है तथा देश-विदेश की सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। पूर्व के समय में जानकारियो आकड़ो गुप्त सूचनाओं कार्यालयो में फाइल के माध्यम से सुरक्षित रखा जाता हैं ।लेकिन आज के समय में कंप्यूटर की सहायता से हम जानकारियों एवं गुप्त सूचनाओं को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सुरक्षित रखते हैं। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंटरनेट के जरिए हम हजारों किलोमीटर दूर लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं ।यह वर्तमान में होने वाली एक ऐसी उपलब्धि है जिसने प्रौद्योगिकी औद्योगिकरण वैज्ञानिक विकास एवं मानव जीवन को आंतरिक रूप से तथा बाहरी रूप से सभी पक्षों को प्रभावित किया है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में जहां एक तरफ लाभ हुआ है वहीं दूसरी तरफ समाज में अपराधों की वृद्धि हुई है। यह साइबर अपराध है जो मानव के अधिकारों का हनन करने के अलावा मानव के मूल्यों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। साइबर अपराध में इंटरनेट के माध्यम से किसी भी जानकारी को आसानी से प्राप्त करना और उसका समाज में गलत उपयोग करना किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी को चोरी करना तथा कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से निकालना साइबर अपराध कहलाता है ।देश-विदेश में साइबर अपराध कई प्रकार किए जाते हैं। जैसे -जानकारियों को चोरी करना तथा जानकारी को मिटाना और सूचना में बदलाव करना किसी की निजी जानकारी दूसरे तक पहुंचाना एवं कंप्यूटर के भागों की चोरी करना तथा नष्ट करना आदि जब निजी सूचनाओं को कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के माध्यम से उस ज्ञान का दुरुपयोग कानून के विरोध और अनैतिक कार्यों के लिए किया जाता है। तब इस प्रकार के व्यवहार को साइबर अपराध कहा जाता है। जब कंप्यूटर तकनीकी से संबंधित प्रतिभावान व्यक्ति कंप्यूटर का गलत उपयोग करके विभिन्न प्रकार की सामग्रियों सूचनाओं को अवैध अनैतिक और अनाधिकृत तरीके से संसाधित और संप्रेषित करने का काम करते हैं। तब इस कार्य को साइबर अपराध कहा जाता है।

साइबर अपराध की विशेषताएं

1. साइबर अपराध एक तरह से कंप्यूटर के द्वारा की गई धोखाधड़ी है।
2. यह अपराध गुप्त और एकांकी होता है।
3. साइबर अपराध को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है।
4. साइबर अपराध करने के लिए कंप्यूटर इंटरनेट का उच्च ज्ञान बहुत जरूरी रहता है।
5. साइबर अपराध में जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित होता है उसके द्वारा किया जाता है।

साइबर अपराध के उद्देश्य - वर्तमान के जीवन में अब साइबर अपराध के क्षेत्र में लगातार वृद्धि होती जा रही है। इन अपराधों के उद्देश्य आर्थिक, सैनिक, सांस्कृतिक अथवा व्यक्तिगत किसी भी रूप में हो सकता है।

1. किसी विशेष देश की गुप्त सूचनाओं को सैनिक या जासूसी करना तथा रक्षा संबंधी सूचनाओं की चोरी करना विरोधी देश को पहुंचना होता है।
2. बड़े उद्योगपति भी दूसरे उद्योगपतियों के फार्मूले पेटेंट और बाजार संबंधी सूचनाएं चोरी करने के लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के उच्च ज्ञान से संबंधित लोगों की सेवाओं का उपयोग करते हैं।
3. वैश्वीकरण व उदारीकरण के दौर में विभिन्न देशों के बीच होने वाली आर्थिक प्रतिस्पर्धा में साइबर अपराध एवं प्रभावशाली साधन बनता जा रहा है।
4. साइबर अपराध का एक प्रमुख उद्देश्य किन्हीं दो देशों के बीच के राजनीतिक आर्थिक संबंधों में टकराव पैदा करना है।इसके लिए किसी विशेष देश की कूटनीति से संबंधित तत्वों की चोरी करके उनके दूसरे देश में इस तरह संप्रेषण कर दिया जाता है जिससे दोनों के बीच संदेह और मतभेद की दशा उत्पन्न हो जाए।
5. साइबर अपराध का प्रमुख उद्देश्य राजनीति दलों की गुप्त सूचनाएं प्रमुख राजनीति दल को देखकर उनके हितों की हानि पहुंचाना है।
6. इसका एक विशेष आर्थिक उद्देश्य बड़े-बड़े इलेक्ट्रॉनिक जुआ घरों की व्यवस्था तथा संचालन करना हैं।

साइबर अपराध के प्रकार

1. **स्पैम ईमेल** - आपके ईमेल में अनेक प्रकार के मेल आते हैं। जिससे ईमेल भी होते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर को नुकसान पहुंचता है जिससे उन ईमेल से सारे कंप्यूटर में खराबी आ जाती है।
2. **हैकिंग** - किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क के माध्यम से किसी संगठन की कार्य प्रणालियों या सॉफ्टवेयर या लोगों की कमजोरी का शोषण किया जाता है।
3. **फिशिंग** - यह एक तरह का साइबर अपराध है। जिसके माध्यम से लोगों के ईमेल टेक्स्ट मैसेज फोन कॉल या अन्य तरीकों से निशाना बनाया जाता है। फिशिंग का मकसद लोगों को फंसा कर उनकी महत्वपूर्ण जानकारी लेना होता है। जैसे- क्रेडिट कार्ड नंबर ,लोगों का बैंक खाता संख्या, नेट बैंकिंग पासवर्ड आदि।
4. **वायरस फैलाना** - साइबर अपराधी कुछ आपके कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर भेज देता है। जिससे आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। जिसे यह वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम को खराब कर देता है ।जैसे -वर्म, टार्जन हॉर्स, लॉजिक हॉर्स वायरस आदि।
5. **सॉफ्टवेयर पाइरेसी** - लोग दूसरे सॉफ्टवेयर की नकल करके नकली सॉफ्टवेयर बनाकर सस्ते दामों में बेचकर साइबर अपराध को अंजाम देते हैं। जिससे विभिन्न प्रकार की सॉफ्टवेयर कंपनियों को नुकसान होता है। और कीमती उपकरण सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं।
6. **फर्जी बैंक कॉल** - आपको ईमेल मैसेज तथा फोन कॉल के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है। जिससे आपको बैंक जैसा लगे और आपसे पूछा जाए कि आपके एटीएम नंबर एवं पासवर्ड की आवश्यकता है ।यदि आपके द्वारा यह जानकारी न दी गई तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा।
7. **सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अफवाह फैलाना** - बहुत लोग सोशल नेट्वर्किंग साइटों के माध्यम से पारिवारिक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, अफवाह फैलाने का काम करते हैं। जिससे लोग उनके इरादों को समझ नहीं पाते। और जाने - अनजाने में लिंको को शेयर करते रहते हैं ।जिससे साइबर आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है।

8. **साइबर बुलिंग** - फेसबुक सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइटों के माध्यम से गंदे कमेंट करना और इंटरनेट के माध्यम से धमकी देना किसी का गंदे स्तर पर मजाक उड़ाना जिससे वह व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाए। और दूसरे के सामने शर्मिंदा करना यह साइबर बुलिंग अपराध कहलाते हैं। वर्तमान में सबसे ज्यादा बच्चे शिकार हो रहे हैं।

भारतीय न्याय संहिता में साइबर अपराधों से संबंधित प्रावधान

1. ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजना BNS - 351
2. ईमेल के माध्यम से संदेश भेजना जिससे मानहानि होती है BNS - 356
3. फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल BNS - 336
4. फर्जी वेबसाइट या साइबर फ्रॉड का इस्तेमाल BNS - 318 (4)
5. दवाओ को ऑनलाइन बेचना - NDPS Act
6. हाथियारों की ऑनलाइन खरीद बिक्री - Arms Act

सूचना तकनीकी कानून 2000 के अंतर्गत साइबर स्पेस में क्षेत्राधिकार संबंधी प्रावधान आधुनिक युग में मानव एवं समाज के विकास में संचार एवं संचार तकनीक का आविष्कार सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। सामाजिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में खासकर न्यायिक प्रक्रिया में इसके महत्व को कम नहीं आका जा सकता है। क्योंकि न्याय की प्रक्रिया से कई छोटी-मोटी दिक्कतों से छुटकारा माननीय गलतियों की कमी कम खर्चीला होना। जैसे गुणो के चलते यह न्यायिक प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। सूचना तकनीक कानून के अंतर्गत उल्लिखित आरोपो की सूची निम्न है।

1. कंप्यूटर संसाधनो से छेड़छाड़ की कोशिश धारा-65
2. कंप्यूटर में संग्रहित डाटा के साथ छेड़छाड़ कर उसे हैक करने की कोशिश धारा-66
3. संवाद सेवाओं के माध्यम से प्रतिबंधित सूचनाएं भेजने के लिए दंड का प्रावधान धारा-66ए
4. कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई सूचनाओं का गलत तरीके से हासिल करने के लिए दंड का प्रावधान धारा 66 बी

5. किसी की निजता को भंग करने के लिए दंड का प्रावधान- इ
6. आपत्तिजनक सूचनाओं का प्रकाशन से जुड़े प्रावधान धारा-67
7. इलेक्ट्रॉनिक या अश्लील सूचनाओं को प्रकाशित या प्रसारित करने का प्रावधान धारा-67ए
8. फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकाशन का प्रावधान धारा 73

साइबर अपराध रुकने के उपाय

1. साइबर अपराध को रोकने के लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उच्च ज्ञान रखने वाली एक प्रशिक्षित टीम संगठित करना आवश्यक है जिसे साइबर अपराध की सूचना लगते ही उसको रोका जा सके।
2. सरकार द्वारा "सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम" पारित करने से यह आशा की गई थी कि इसकी सहायता से साइबर अपराध को कम करने में इसकी उपयोगी भूमिका हो सकेगी। इसके बाद भी साइबर अपराध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा ।वर्तमान में इस अधिनियम को व्यावहारिक बनाने की जरूरत है जिससे अपराधियों को दंडित किया जा सके।
3. कंप्यूटर के माध्यम से जालसाजी व गबन जैसे अपराधों को तभी रोका जा सकता है जब लेखा परीक्षकों को सूचना प्रौद्योगिकी का उच्च स्तर का ज्ञान हो।
4. संसार मे विभिन्न देशों में साइबर अपराध को मानवधिकार उल्लंघन से जुड़ा हुआ अपराध मानकर इसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। भारत में भी इस प्रक्रिया को अपनाकर कम किया जा सकता है।
5. अधिकतर साइबर अपराध किसी न किसी पासवर्ड को चोरी करके किए जाते हैं। पासवर्ड की चोरी को रोकने के लिए जटिल पासवर्ड बनाए जाएं जिसकी जानकारी केवल उपयोग करने वाले व्यक्ति अथवा संस्था को ही हो।

निष्कर्ष

आधुनिक युग में जहां सूचना प्रौद्योगिकी ने अद्भुत विकास किया है। वहीं दूसरी साइबर अपराध ने समाज में के सामने एक वैश्विक समस्या पैदा कर दी है। जिसका समाज का हर व्यक्ति सामना कर रहा है ।जिसका समाधान अति आवश्यक है। बल्कि साइबर अपराध की प्रकृति इतनी

एकांकी और अज्ञात है कि इससे संबंधित वास्तविक अपराधी को खोज पाना बहुत कठिन है ।अगर साइबर अपराध को शुरू में ही पर्याप्त कार्यवाही नहीं हो पाती है। जिससे मानव अधिकारों और मानवीय मूल्यों का हनन होने से समाज में विघटन कारी मनोवृत्तियों का तेजी से विकास होने लगेगा इस दशा के कारण भावी समाज का संपूर्ण जीवन एक बड़े खतरे में पड़ सकता है।

संदर्भ सूची-

1. डॉ. अग्रवाल जी.के. सोशियोलॉजी एसबीडी पब्लिशिंग हाउस
2. मोर आर 2005 साइबर क्राइम इन्वेस्टीगेशन हाई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर क्रीम लेवल एंड मिसिसिपी एडर्जन पब्लिशिंग
3. चंद्र हरीश साइबर लॉ एंड आईटी प्रोटेक्शन
4. जैन रोहित अरमान 2018 साइबर क्राइम एंड लो इवेंट्स पब्लिशिंग
5. होल्डर डी. एंड जयशंकर के 2011 साइबर क्राइम एंड विक्टिमाइजेशन ऑफ़ वीमेन लॉज राइट एंड रेगुलेशंस हार्स